राजस्व लोक अदालत कैम्प– सराणा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 184 / 2017

प्रार्थीगण :–

1. मोहनसिंह पुत्र जवाहरसिंह
2. जसराज पुत्र पूनमजी
3. किशोरसिह पुत्र करनाजी
4. मांगीलाल पुत्र जवाहरसिहं
5. मंगलसिंह पुत्र पूनमाजी
6. बाबूलाल पुत्र पूनमाजी
7. पुखराज पुत्र पूनमाजी
8. मालमसिंह पुत्र पूनमाजी
9. मोरोदेवी बैवी पूनमाजी
10. चम्पादेवी बैवा जवाहरसिंह जातियान राजपुरोहित
11. ग्राम पंचायत सराणा
12. बसन्तीदेवी पुत्री बख्तावरसिंह
13. ओमसिंह पुत्र जबरसिंह
14. राजूसिंह पुत्र जबरसिंह
15. मदनसिंह पुत्र जबरसिंह
16. कमलादेवी बैवा जबरसिंह
17. मंजु पुत्री जबरसिंह
18. नगसिंह पुत्र करनाजी
19. आम्बसिंह पुत्र करनाजी
20. रम्भादेवी पत्नि करनाजी
21. पानी बैवा करनाजी जातियान राजपुरोहित निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. डाई पत्नि मुकनाजी पुरोहित
2. शंकर पुत्र मुकनाजी
3. दाखूदेवी पत्नि लालसिंह
4. लाला पुत्र प्रभुजी जाति पुरोहित
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आसोतरा
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.</u>

आदेश

दिनांक 27.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प सराणा में पेश हुई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत

(भागीरथ राम)
...न अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.........

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि कटाण रास्ता से प्रार्थी के खातेदारी खेत (कृषि भूमि) तक का रास्ता अर्थात खसरा नं. 473 रकबा 36 बीघा 04 विस्वा में आवागमन हेतु खसरा 1043/474 रकबा 11 बीघा 08 विस्वा व ख0न0 1042/474 रकबा 11 बीघा 07 विस्वा में से 20 फिट चौडाई में संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल मार्क ए से बी दर्शाया गया है, उक्त हिस्सा प्रार्थीगण के खसरा न0 473 रकबा 36 बीघा 04 विस्वा जोत तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवाने चाहते है।

उक्त आशय का प्रार्थनापत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को जारी सम्मन बाद रजिस्टर्ड रसीदे पेश हुई व विप्रार्थीगण के डाक सम्मन बाद तामिल के प्राप्त हुए। पक्षकार राजस्व लोक अदालत कैम्प में उपस्थित। तहसीलदार पचपदरा ने जरिये पत्रांक क्रमाक 1293 दिनांक 18.10.2017 को रिपोर्ट व मौका फर्द में जाहिर किया कि मौजा सराणा के खेत खसरा संख्या 473 हेतु मार्ग वास्ते मौका जांच हेतु पर पहुचे मौका एवं रेकर्ड अनुसार ख0न0 465 गै.मु रास्ता (जो सराणा से जानियाना) से ख0न0 1043/474 तथा 1042/474 से होते हुए ख0न0 473 के लिए उपयुक्त एवं निकटतम तथा वर्तमान में चालू है। ख0न0 473 के लिए ख0न0 1043/474 व 1042/474 के अलावा अन्य कोई निकटतम मार्ग सम्भव नही है। ख0स0 1043/474 रकबा 11.08 बीघा के खातेदार डाई पत्नि मुकना शंकर पुत्र मुकना पुरोहित सा. सारणा तथा ख0न0 1042/474 रकबा 11–07 बीघा के खातेदार दाखूदेवी पत्नि लालसिंह हि0 1/2 लाला पुत्र प्रभू हि. 1/2 कौम पुरोहित सा. सराणा खातेदार। खसरा न0 473 मे आवागमन हेतु प्रार्थी मोहनसिंह वगैरहा द्वारा .20 फिट चौडा मार्ग चाहा है। प्रार्थी मोहनसिंह वगैरा वास्ते मार्ग रास्ते हेतु नियमानुसार राशि अदा करने हेतु सहमत है ख.न. 473 में आवागमन हेतु प्रस्तावित मार्ग का रकबा ख.स. 1043/474 में से 0–04 बीघा (चार–बिस्वा) तथा ख. स. 1042/474 मे से 0.12 बीघा (12 बिस्वा) प्रस्तावित मार्ग का रकबा है। प्रस्तावित मार्ग के रकबे की डी. एल. सी दर 25,500 प्रति बीघा है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, जमाबन्दी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व नजरी नक्शा आदि का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निर्ष्कष पर पंहुचे है कि प्रार्थीगण द्वारा नया रास्ता की मांग परिशिष्ट 'अ' व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द का नजरी नक्शा मे समानता है। एवं विप्रार्थीगण भी इस हेतु अपनी सहमति जाहिर कर निवेदन किया कि उक्त आराजी में नियमानुसार राशि अदा कर रास्ता घोषित करने मे उनको कोई एतराज नहीं है।

अनवान प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये व तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता की भूमि ख0न0 1042/474 रकबा 11–07 बीघा व ख0स0 1043/474 रकबा 11.08 बीघा भूमि खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें से ख.स. 1043/474 में से 0–04 बीघा (चार–बिस्वा) तथा ख.

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

ख. स. 1042 / 474 मे से 0.12 बीघा (12 बिस्वा) भूमि प्रस्तावित की रास्ता के लिये बनती है। तहसीलदार द्वारा खसरान की डीएलसी दर डीएलसी दर 25,500 / – प्रतिबीगा होना जाहिर किया है।इस प्रकार ख.स. 1043 / 474 में से 0–04 बीघा (चार–बिस्वा) तथा ख. स. 1042 / 474 मे से 0.12 बीघा (12 बिस्वा)अर्थात् कुल 16 विस्वा भूमि का मुआवजा धारा 251 ए आरटीए के तहत नये नियमो के तहत डीएलसी रेट प्रतिबीगा डीएलसी दर 25,500 / –के हिसाब से 16 बिस्वा भूमि का मुआवजा डीएलसी दर 25,500 / – के हिसाब से दुगना अर्थात 40,800 / – रूपये देय होते है। जो प्रार्थीगण से वसूल कर विप्रार्थीगण, खातेदारान खसरा न0 1042 / 474 व 1043 / 474 के खातेदारान को दिलाया जाना उचित है।

अतः मौजा सराणा के ख0न0 1042 / 474 के रकबा में से 0.12 बीघा व ख0न0 1042 / 474 के रकबा में से 0.12 बीघा व ख0न0 1043 / 474 के खाता में से 0.04 बीघा का नया रास्ता परिशिष्ट 'अ' के अनुसार 20 फीट चौडाई में घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण मुआवजा की राशि रूपये 40,800 / –रूपये प्रतिबीघा अक्षरे रूपये चालीस हजार आठ सौ रूपये मात्र विप्रार्थी खातेदार खसरा न0 1042 / 474 व 1043 / 474 को निरीक्षक भू.अ. बालोतरा के रूबरू अदा कर रसीद तहसीलदार पचपदरा को पेश करे। यदि खसरा न0 1042 / 474 व 1043 / 474 के खातेदार मुआवजा राशि लेनें से इन्कार करते हे तो ऐसी स्थिति मे उक्त राशि तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय मे जमा करवाने हेतु आदेशित किया जाता है। तदुपरान्त तहसीलदार पचपदरा आदेशानुसार माफिक संलग्न नक्शा सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व नक्शे मे तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..........

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा